होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय मध्यप्रदेश

ज्ञापन

क्रमॉक 287 /स्था0(1)ए/2017 भोपाल, दिनांक 13 जून, 2017

प्रति,

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल।

विषयः— वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2017—18.

——00——

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2017—18 के संबंध में जानकारी संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

13/6/17

(व्ही0के0 सिंह)
डायरेक्टर जनरल,
होमगार्ड, मध्यप्रदेश

Scanned by CamScanner

वार्षिक कार्ययोजना

1– होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ संगठन में नियमित एवं स्वयंसेवकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन स्तर से पहल।

2– होमगार्ड के नये जिले एवं एसडीईआरएफ के लिये आवंटित जमीन पर प्रशासकीय भवन एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु वित्तीय प्रावधान का हरसम्भव प्रयास एवं आधारभूत संरचना को मजबूत करना ।

3– म0प्र0 के 05 जिलों के अतिरिक्त अधिसूचित शेष 47 जिलों में सिविल डिफेन्स वालेण्टियर्स का नामॉकन, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं नियमित पदस्थापना के पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव शासन को भेजना ।

4– नेशनल सिविल डिफेन्स कालेज, नागपुर एन0आई0डी0एम0 नई दिल्ली व अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं से अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु भेजना तथा विभाग के अधिनस्थ यूनिटों में होमगार्ड के एनसीओ/सैनिक रिफ्रेशर कोर्स का तथा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न स्तरों के निर्धारित रोस्टर अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कराना ।

5– भारत सरकार तथा राज्य शासन से प्राप्त महत्वपूर्ण संदर्भो (मंत्री परिषद के निर्णय, सी0एम0 मानिट प्रकरण, मुख्य सचिव मानिट प्रकरण, माननीय मंत्रीगणों, माननीय सांसद व विधायक, भारत सरकार से इसी प्रकार से प्राप्त विभिन्न सन्दर्भ आदि) का निराकरण, निर्धारित समय–सीमा व यथा सम्भव तत्परता से करवाना ।

6– होमगार्ड संगठन के अनुशासन को प्रोत्साहित करना तथा कदाकरण की शिकायतों का संज्ञान तत्परता से लेकर उन पर नियमानुकूल कार्यवाही यथा सम्भव शीघ्रता से करना ।

7– राज्य शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार निर्धारित मापदण्डों के अनुसार विभिन्न स्तर के अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण की कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण करना।

8– भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आधुनिकीकरण योजना के प्रस्तावों के क्रियांवयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना ।

9– सिविल डिफेन्स वॉलेण्टियर्स के मानव व उपकरण संसाधन की पहिचान, पंजीयन एवं किसी भी आपदा के लिए तैयार करना । कम्युनिटी को किसी भी आपदा के फर्स्ट रिस्पोंडर की भूमिका के लिये तैयार करना । प्रशिक्षण, सिविल डिफेन्स हेतु डियूटी भत्ता + बीमा योजना लागू करवाना ।

10– जवानों के वेलफेयर हेतु शासन स्तर से स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एवं शासकीय भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) योजना को लागू करवाना ।

Scanned by CamScanner

11— होमगार्ड विभाग में किट सामग्री क्रय किये जाने की जगह जवानों को किट अलाउन्सेस प्रदाय किये जाने का प्रस्ताव ।

12— होमगार्ड विभाग के वित्तीय वर्ष 2017—18 में लघु—निर्माण/मरम्मत शीर्ष में कम बजट की प्राप्ति, अतएव शासन स्तर से पहलकर वित्तीय व्यवस्था का प्रयास । एस0डी0ई0आर0एफ0 में प्राप्त बजट का सक्षम कमेटी के अनुमोदन एवं अभिस्वीकृति की कार्यवाही उपरान्त सामग्री क्रय एवं क्षमता वृद्धि तथा यथोचित उपयोग का लक्ष्य ।

13— होमगार्ड के 51 जिलों एवं संभाग में क्रमशः 02 कम्पनी एवं संभागों में 06 कम्पनी का बल स्थापित किये जाने का लक्ष्य। विभाग में वरिष्ठ पद डी0आई0जी0, आई0जी0 के पदों की स्वीकृति तथा अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति संबंधी कार्यवाही ।

14— प्रदेश में राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल (एसडीईआरएफ) एवं होमगार्ड के सभी इकाईयों के लिए आवासीय सुविधा/ट्रॉजिस्ट हॉस्टल उपलब्ध कराने जाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी जिला इकाईयों में आपदा प्रबन्धन में क्षमता वृद्धि के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण स्ट्रक्चर का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य।

15— केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्ड, मंगेली जिला जबलपुर में होमगार्ड एवं सिविल डिफेन्स के स्वयंसेवकों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से उन्नयन एवं विकास किये जाने की अनुमोदित डीपीआर अनुसार बजट प्राप्ति और कार्य प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य है।
इंदौर में क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, आपदा प्रबंधन में क्षमता विकास एवं सुदृढीकरण हेतु प्रेषित रू. 44 करोड़ की डीपीआर की शासन स्वीकृति प्राप्त कर, शीघ्र निर्माण किये जाने का लक्ष्य है।

———0———

Scanned by CamScanner